

I/422362/2023

संख्या-3443/81-2-2023-800(144)/2019

प्रेषक,

देवेन्द्र सिंह चौहान,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 ^{नवम्बर} जुलाई 2023

विषय- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड (एन०एच०-80) किमी० 05 दांयी पटरी खसरा संख्या-30 ग्राम दौलताबाद तहसील कोल जनपद अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.07595 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-568/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017 दिनांक 04.09.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ की आख्या दिनांक 02.08.2023 से विदित हो रहा है कि प्रयोक्ता एजेन्सी ने बिना पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति के आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। क्या इस पर परिणात्मक कार्यवाही की पुष्टि हुई ?

कृपया उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए सुस्पष्ट आख्या अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में अग्रोतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

Signed by देवेन्द्र सिंह
चौहान

Date: 06-11-2023 13:08:04

Reason Approved
(देवेन्द्र सिंह चौहान)

अनु सचिव।